

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in

दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्रमांक: राजभाषा/2026/33/ 5086

दिनांक: 28 जुलाई, 2026

सूचना/Notice

विषय: विश्वविद्यालय में कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करने हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम - 2026-27।

संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें सरकारी प्रयोजनों के लिए कार्य की विभिन्न मदों को राजभाषा हिन्दी में निष्पादित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उक्त विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए यह कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, विश्वविद्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित होने के कारण समस्त विभागों/अनुभागों को इसकी प्रति इस अनुरोध सहित आपको प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने कार्यालय के कामकाज में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पूर्ण प्रयास करें।

आदेशानुसार,

H. P. Sharma
कुलसचिव 28/7/2026

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि :

1. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, प्रभारी, निदेशक, समन्वयक, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ - विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने के हेतु।
3. कुलपति जी को निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
4. कुलसचिव जी को निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. कार्यालय नस्ती।

H. P. Sharma
राजभाषा अधिकारी (प्र.)



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए
वार्षिक कार्यक्रम
2026-27

ANNUAL PROGRAMME
FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF
THE UNION IN HINDI
2026-27

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	“क” क्षेत्र	“ख” क्षेत्र	“ग” क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक,ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13 (i)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(ii)	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(iii)	विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क)	हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
(ख)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
(ग)	राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	

15. कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	45%	35%	25%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, “क” क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, “ख” क्षेत्र में 30% और “ग” क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए ।